राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०
कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो० I)
एम एम बिल्डिंग, पुराना पावर हाउस, जयपुर-302006

क्रमांक: रा.वि.प्र.नि./अधी.अभि./प्रोक्यो. I/भण्डार शाखा/प्र० 2294 जयपुर, दिनांक 26.12.17

निविदा सूचना
टी.एन-90/2017/2

प्रोक्योरमेन्ट एवं कान्ट्रेक्ट परिसर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि०, राम मन्दिर के पास, पुराना पावर हाउस बिल्डिंग के पीछे, बनीपार्क, जयपुर मे स्थित अल्पाहार गृह को एक वर्ष की अवधि तक चलाने हेतु निविदा संलग्न परिशिष्ट-'द' में उल्लेखित शर्तों व अनुदेशानुसार आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्योरमेन्ट-I) रा. वि. प्र. निगम, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है।

निविदायें (अल्पाहार गृह संचालन हेतु प्रस्तावित मासिक किराए की दर परिशिष्ट-'ब') दिनांक 29.12.2017 को मध्यान्ह 2.30 बजे तक धरोहर राशि रु. 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट लेखाधिकारी (पी.एण्ड सी.I) रा.वि.प्र.निगम, जयपुर को जमा करवा कर, रसीद की छाया प्रति संलग्न कर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो०.I) रा.वि.प्र.निगम, जयपुर को भेजी जा सकती है जो उसी दिन मध्यान्ह 3.00 बजे खोली जावेगी

अधिशाषी अभियन्ता (कम्प्यू.)
वास्ते अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो०-I)
रा. रा. वि. प्र. नि. जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु:-
1. लेखाधिकारी (पी.एण्ड सी.I) रा.वि.प्र.नि. जयपुर
2. सूचना पट्ट।

अधिशाषी अभियन्ता (कम्प्यू०)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो.-I.)
एम.एम. बिल्डिंग, पुराना पॉवर हाउस, जयपुर-302006
टेलीफोन / फैक्स नं. 2208916

सामान्य निर्देश

(बी.एन.901500)712

1. निविदादाता को पदार्थ प्रबन्ध शाखा परिसर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क, जयपुर स्थित अल्पाहार गृह के संचालन हेतु मासिक किराये की राशि परिशिष्ट 'ब' में प्रस्तावित करनी है जो न्यूनतम राशि रु.6000/- से अधिक होनी चाहिए। निविदादाता का ओएसबी + ओपीएसबी मे पंजीकरण होना अनिवार्य है।

2. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो.-I), स.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर द्वारा अल्पाहार गृह के संचालन हेतु दिनांक 29.12.17 के मध्यान्ह 2.30 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

3. निविदा प्रपत्र सील्ड कवर में अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो. I), एम.एम. बिल्डिंग, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 29.12.17 को मध्यान्ह 2.30 बजे तक पहुँच जानी चाहिये। निर्धारित समय के बाद निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा दिनांक 29.12.17 को सायं 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

4. निविदादाता को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 2000/- लेखाधिकारी (पी एण्ड सी I), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर को जमा करवा कर रसीद संलग्न करनी होगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि की रसीद संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5. सभी निविदा प्रपत्र स्पष्ट रूप से स्याही से भरे जाने चाहिये। निविदा पत्र के मुख्य लिफाफे पर "अल्पाहार गृह हेतु निविदा दिनांक 29.12.17" अंकित होना चाहिये।

6. सफल निविदादाता को ज़मानत राशि रु. 10,000/- अल्पाहार गृह का संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवाने होंगे।

7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो.-I), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर को किसी भी निविदा को बगैर कारण बताये स्वीकार या रद्द करने का अधिकार होगा।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो.-I)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर

परिशिष्ट–'अ'

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक्यो.-I)
एम.एम. बिल्डिंग, पुराना पॉवर हाउस, जयपुर–302006
टेलीफोन / फैक्स नं. 2208916

(बी.एन. 90/600/7/2)

पदार्थ प्रबन्ध शाखा परिसर में स्थित अल्पाहार गृह की तकनीकी निविदा हेतु पात्रता

निम्नलिखित सूचना निविदादाता द्वारा स्वयं भरी जायेगी एवं इसे भरकर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी

1.	फर्म का नाम		
2.	फर्म के मालिक / मालिकों का नाम		
3.	पूर्ण पता (व्यावसायिक)		
4.	पूर्ण पता (घर)		
5.	फोन (कार्यालय) फोन (घर) मोबाइल नम्बर		
6.	अमानत राशि जो जमा कराई गई	रसीद सं.	दिनांक
7.	विभिन्न राजकीय विभागों / उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं बड़े वित्तीय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अल्पाहार गृह सुचारू रूप से चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव मय अवधि ~~[illegible]~~ का प्रमाण पत्र देवें। एवं आदेश की प्रति संलग्न करें।		

अ. न्यायालय में कोई कानूनी वाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड / अन्य विद्युत निगमों के विरुद्ध पूर्व में दायर किया हो तो उस निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। गलत सूचना देने पर अयोग्य क़रार दिया जायेगा।

ब. उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सही है एवं इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की ज़िम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (...)

[illegible] जयपुर-302006

[illegible]

पदार्थ प्रबन्ध शाखा परिसर में स्थित अल्पाहार गृह की निविदा

(टी.एन.90150) 01712

निम्नलिखित सूचना निविदादाता द्वारा स्वयं भरी जायेगी एवं इसे भरकर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी

मैं .... (फर्म का नाम), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पदार्थ प्रबन्ध शाखा परिसर, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क, जयपुर में स्थित अल्पाहार गृह के संचालन हेतु किराये के रूप में रुपये ..../प्रतिमाह (अंकों में रुपये ..../प्रतिमाह) (न्यूनतम राशि रु. 6000/– + जी एस टी प्रतिमाह) प्रस्तावित करता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्ट–ग

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पी.एम.डी.)
एम.एम. बिल्डिंग, पुराना पॉवर हाउस, जयपुर-302006
टेलीफोन/फैक्स नं. 2206916

पदार्थ प्रबन्ध शाखा परिसर में स्थित अल्पाहार गृह हेतु उपलब्ध करवायी जाने वाली खाद्य एवं पेय सामग्री की सूची एवं दरें

(पी.एम. [illegible] 500 1712

क्र. सं.	खाद्य एवं पेय सामग्री का विवरण	दर (रु.)
1.	चाय (प्रति प्याला 125 औंस)	5.00 प्रति प्याला
2.	कॉफी एस्प्रेसो (प्रति प्याला 150 औंस)	10.00 प्रति प्याला
3.	दही की लस्सी (200 मिली ग्राम)	15.00
4.	समोसा, कचोरी, कोफ्ता, मिर्च बड़ा (70 ग्राम प्रति नग)	8.00
5.	ब्रेड पकोड़ा (70 ग्राम प्रति नग)	10.00
6.	पकोड़ा (दाल / बेसन) प्रति प्लेट (प्रति प्लेट 100 ग्राम)	15.00
7.	सेव, मोगर, दालमोठ, चिवड़ा (प्रति प्लेट 100 ग्राम)	15.00
8.	मिठाई (मावे की) प्रति किलोग्राम (400 ग्राम चीनी व एक किलो मावे के अनुपात में)	260.00 प्रति किलो
9.	मिठाई (बेसन व मैदा आदि से निर्मित) प्रति किलोग्राम	120.00 प्रति किलो
10.	आईसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स / सरस डेयरी के उत्पादन (दूध, छाछ, दही, लस्सी, श्रीखण्ड) एवं बिस्किट	छपी हुई कीमत पर
11.	पुड़ी – 6 नग (200 ग्राम) एवं सब्जी, अचार	20.00
12.	थाली – दाल, सब्जी, अचार, चावल, चपाती 4 नग, सलाद	60.00 प्रति थाली
13.	टिकिया (2 नग) छोले सहित	15.00
14.	मसाला डोसा	30.00
15.	सादा डोसा	25.00
16.	इडली (दो नग) सांभर	15.00
17.	सांभर बड़ा (2 नग)	15.00
18.	पेटीज़ (प्रति नग)	12.00
19.	पाईनेपल, पपीता, सन्तरा ज्यूस	20.00
20.	मौसमी ज्यूस	30.00
21.	पाईनेपल, पपीता, आम, केला, चीकू, बटरस्कॉच, चॉकलेट शेक	35.00

[illegible] अमूल, [illegible] की रखनी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी, मिरिण्डा, कोका-कोला, 7अप, लिम्का आदि ब्राण्ड रखने होंगे। बिस्कुट ब्रिटानिया, मोनको, पारले जी आदि ब्राण्ड कम्पनी [illegible] रखने होंगे।

उपरोक्त सामग्री स्वीकृत दरों पर ही बेची जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई सामग्री रखी जावे तो उसकी दरें स्वीकृत करवाना होगा। स्वीकृत दरों का विवरण केन्टीन में लगाना आवश्यक होगा। केन्टीन में रिफाइण्ड ऑयल का उपयोग किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षण अभियन्ता (टी.एल.पी.सी.)

परिशिष्ट - द

शर्तें एवं अनुदेश
बीएम - 9015001712

1. एम. एम. बिल्डिंग में अल्पाहार गृह की प्रारम्भिक अवधि 1 वर्ष के लिये होगी। यह अवधि मुख्य अभियन्ता (प्रोक्योरमेन्ट), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहमति से मासिक किराये की मूल राशि में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि कर और बढाई जा सकती है। खाद्य पदार्थों की दरों में वृद्धि केन्टीन संचालन समिति व केन्टीन संचालक की परस्पर सहमति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद की जा सकती है।

2. अल्पाहार गृह का सफल संचालन निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मासिक किराया प्रथम माह का अल्पाहार गृह का संचालन प्रारम्भ करते समय व आगे प्रत्येक माह की 10 तारीख तक लेखाधिकारी (पी.एण्डसी.–1),रा.रा.वि.प्र.नि.लि. जयपुर को अग्रिम जमा कराना होगा तथा रसीद कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक.–1), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय पर किराया न जमा कराने की स्थिति में विलम्ब मासिक किराया राशी का 1.6 प्रतिशत मासिक दर के अनुसार प्रतिदिन की गणना कर अतिरिक्त जमा कराना होगा। अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी।

3. अल्पाहार गृह में उपलब्ध कराये गये सामान यथा फर्नीचर, पंखे, ट्यूब लाइट्स, प्योरीफायर इत्यादि के रख–रखाव, टूट–फूट आदि की एवज में रुपये 10,000/– की अमानत राशी लेखाधिकारी (पी.एण्डसी.–1), रा.रा. वि.प्र.नि.लि. जयपुर को जमा करानी होगी व रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। जो कि अनुबन्ध समाप्त होने व उपलब्ध कराए उक्त सामान को यथास्थिति में सम्भलाने के पश्चात तीन माह के भीतर बिना ब्याज के देय होगी।

4. जयपुर नगर निगम या अन्य सरकारी विभाग जहाँ से यदि कानूनी लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक हो, वहाँ से लाइसेन्स अथवा परमिट स्वयं ठेकेदार प्राप्त करेगा।

5. ठेकेदार अल्पाहार गृह संचालन का अनुबन्ध किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया गया तो अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशी जब्त करली जाएगी।

6. यदि अल्पाहार गृह लगतार तीन कार्य दिवस पर बन्द रहा तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी अन्य ठेकेदार से बात करके अल्पाहार गृह चालू करा सकता है या स्वयं कर सकता है तथा इस संबंध में जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी वसूली अनुबंधित ठेकेदार से की जाएगी।

7. यदि ठेकेदार किसी दिन अपरिहार्य कारणों से अल्पाहार गृह बन्द रखना चाहे तो अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक.–1), रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,जयपुर से इसकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। पूर्व स्वीकृति प्राप्त ना करने की स्थिति में रुपये 200/–एवं जी.एस.टी. प्रति दिवस जमा कराना होगा।

8. अनुबन्ध स्वीकृत होने के दिन से एक सप्ताह के अन्दर अल्पाहार गृह चालू करना होगा।

9. ठेकेदार को सदैव पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व ताज़ा खाद्य सामग्री रखनी होगी। यदि बासी व अखाद्य सामान पाया गया तो उस सामान को निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा नष्ट करवा दिया जावेगा और उसका कोइ मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा। इस विषय में अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक.–1.), रा.रा.वि.प्र.नि.लि. , जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

10. ठेकेदार के किसी भी सामान में मिलावट पाये जाने पर निगम द्वारा जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

11. ठेकेदार को हमेशा पर्याप्त मात्रा में अच्छे स्तर की कॉकरी रखनी होगी।

12. न्यायालय में कोई कानूनी वाद प्रसारण निगम/अन्य विद्युत निगमों के विरूद्व पूर्व में दायर किया हो तो उस निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। गलत सूचना देने पर अयोग्य करार दिया जावेगा।

13. ठेकेदार अल्पाहार गृह को पूर्णतया स्वच्छ एवं हाइजेनिक रखेगा।

14. अल्पाहार गृह में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/वस्तुओं की गुणवत्ता (क्वालिटी) का निरीक्षण निगम द्वारा गठित अल्पाहार गृह संचालन समिति द्वारा किया जायेगा, यदि समिति द्वारा कोई कमी पाई गई तो समिति द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड ठेकेदार द्वारा जमा कराना होगा।

15. अल्पाहार गृह के कर्मचारियों को स्वच्छ रहना होगा। केन्टीन का कोई कर्मचारी यदि बीमारी से पीड़ित है तो उसको केन्टीन में नहीं रखा जाएगा।

16. अल्पाहार गृह में स्वीकृत वस्तुऐं निर्धारित दर पर उपलब्ध करानी होगी एवं मूल्य सूची अनिवार्य रूप से बोर्ड पर लगानी होगी।

17. यदि निगम अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो एक माह का नोटिस ठेकेदार को देगा। यदि ठेकेदार अनुबन्ध समाप्त करना चाहेगा तो उसे लिखित रूप में तीन माह का नोटिस देना होगा।

18. कर्मचारियों द्वारा उधार लिये गये सामान के पैसों की वसूली की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

19. अल्पाहार गृह में ताश नहीं खेली जाएगी तथा किसी भी रूप में शराब, नशीली वस्तुओं, धूम्रपान (तम्बाकू , गुटखा, बीड़ी, सिगरेट) आदि वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा तथा अल्पाहार गृह में इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित होगा। इस आशय का बोर्ड केन्टीन में लगाना होगा।

20. अल्पाहार गृह राजकीय अवकाश के अलावा प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक खोली जावेगी।

21. यदि आवश्यक हुआ तो कार्यालय समय से पहले एवं पश्चात व अवकाश के दिनों में ठेकेदार से अल्पाहार गृह खुलवाया जा सकता है।

22. विद्युत निगमों की बैठकों में ठेकेदार द्वारा चाय, बिस्किट आदि की सप्लाई आवश्यकतानुसार की जावेगी जिसमें कॉकरी आदि की सफाई का कार्य भी ठेकदार के कर्मचारियों द्वारा ही किया जावेगा तथा अल्पाहार गृह में दिन में दो बार फिनाइल से पोंछा ठेकदार के कर्मचारियों द्वारा लगाया जावेगा। ठेकदार के कर्मचारियों द्वारा यदि चाय कार्यालय/लिफ्ट आदि में गिरा दी जावेगी तो उसकी सफाई भी ठेकदार के कर्मचारियों द्वारा ही की जावेगी।

23. बिजली एवं पानी का व्यय प्रसारण निगम द्वारा वहन किया जावेगा लेकिन इसके दुरूपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

24. अल्पाहार गृह के लिये लागू सभी टैक्स, ठेकेदार को वहन करने होंगे व उस टैक्स को संबंधित विभाग को जमा कराने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। उल्लंघन के लिये भी ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

25. अल्पाहार गृह में कार्यरत स्टाफ को राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी देनी होगी, इसके उल्लंघन हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

26. अल्पाहार गृह में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अल्पाहार गृह ठेकेदार द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी/व्यक्ति को नियमानुसार मुआवज़ा देना होगा।

27. अनुबन्ध की व्यवस्था के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोइ विवाद हो तो उस विवाद पर अधीक्षण अभियन्ता (प्रोक.–1), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर का निर्णय ही अंतिम होगा एवं वह निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

28. ठेकेदार द्वारा मांग पर खाद्य सामग्री परिसर के सभी अनुभागों में उपलब्ध कराई जावेगी।

29. ठेकेदार को सरस या अमूल डेयरी के उत्पादन यथा दूध, छाछ, दही, लस्सी, श्रीखण्ड, आदि भी अल्पाहार गृह में उपलब्ध करवाने होंगे।

30. निविदा प्रपत्र की किसी भी शर्त/शर्तो का उल्लंधन पाए जाने पर निगम प्रशासन, ठेकेदार को लिखित चेतावनी देकर 7 (सात) दिन बाद ठेका निरस्त कर सकेगा, व जमानत राशी जब्त करली जावेगी।

31. अनुबंध 500/– रूपये मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करना होगा।

निविदा में वर्णित शर्त संख्या 1 से 31 तक मुझे स्वीकार्य है तथा मैं परिशिष्ट –"स" में वर्णित दरों पर ही अल्पाहार गृह में सामान सप्लाई करूंगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार